

के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (143). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (143), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 39 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (143). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “Chhattisgarh GST Act”), on the recommendations of the Council, the Government of Chhattisgarh hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”), who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as “the said officers”) by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Chhattisgarh GST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 40 /2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (144): — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक नहीं था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कम्पोजिशन उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.